करौली (राज०)

	12.5.23	वकील फरीकैन उप०। पत्रावली में 'पक्षकारों' के आदेश (सुनाया गया) आदेश पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुदा होकर नकल के काम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करौली

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना (आर.ए.एस)

मु0 / न0	किस्म मुकदमा	तारीख रजू	तारीख फैसला
40 / 22	128 एलआर एक्ट	21.06.2022	12.05.2025

उनवान

1. मुरारी लाल पुत्र मांगी लाल आयु 75 साल जाति ब्राह्मण निवासी बखतपुरा तहसील मासलपुर जिला करौली

—सायल

बनाम

1. उदयबीर पुत्र गुलाब आयु 60 साल
2. भानू प्रताप पुत्र विजय सिंह आयु 40 साल
3. रामबाई पत्नि विजय सिंह आयु 60 साल
4. रामअवतार सिंह पुत्र गुलाब सिंह आयु 30 साल
5. विनोद सिंह पुत्र गुलाब सिंह आयु 50 साल
6. शिवप्रसाद पुत्र विजय सिंह आयु 45 साल
7. शिम्भू पुत्र शिशपाल सिंह आयु 18 साल
8. पूनम देवी पत्नि शिशपाल सिंह आयु 45 साल
9. मानसिंह पुत्र सुजान सिंह आयु 70 साल
10. छोटी पुत्र रामकुवार सिंह आयु 50 साल
11. प्रेम पुत्र रामकुंवार सिंह आयु 45 साल

सभी जातियान राजपूत निवासी बखतपुरा तहसील मासलपुर जिला करौली

छोटी व प्रेम जरिये साझीदार काश्तकार राजवीर पुत्र कमल आयु 60

12. जयलाल पुत्र जगधर आयु 50 साल जाति जाटव निवासी बखतपुरा
13. जयसिंह पुत्र जगधर आयु 55 साल जाति जाटव निवासी बखतपुरा
14. रामसहाय पुत्र किशोरी आयु 60 साल जाति जाटव निवासी बखतपुरा
15. रामेश्वर सिंह पुत्र लल्लू सिंह आयु 50 साल जाति राजपूत निवासी बखतपुरा
16. बनेसिंह पुत्र छगन आयु 30 साल जाति जाटव निवासी बखतपुरा
17. रदनेश पुत्र छगन आयु 30 साल जाति जाटव निवासी बखतपुरा
18. मुकेश कुमार पुत्र गोपाल शरण आयु 40 साल जाति ब्राह्मण निवासी बखतपुरा
19. राजेश कुमार पुत्र गोपालशरण आयु 42 साल
20. श्री निवास पुत्र गोपालशरण आयु 58 साल
21. सतीश कुमार पुत्र गोपाल शरण आयु 55 साल
22. लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार, तहसील करौली

—गैरसायल

अभिभाषकः— 1. वादीगण—श्री श्याम सुन्दर शर्मा, एडवोकेट

23. प्रतिवादीगा—श्री बिष्णु चंद बंसल, एडवोकेट (प्रतिवादी नंबर 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 21 की ओर से)

—::निर्णय::— दिनांक:—12.05.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से एक प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट के तहत इस आशय प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी सायल के खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात खसरा नंबर 997 रकबा 0.4553 है0 खसरा नंबर 1002 रकबा 0.1644 है0 खसरा नंबर 2600 रकबा 0.4047 है0 बारानी कुल रकबा 1.0244 है0 वाके ग्राम रामपुरा पटवार हल्का फतेहपुर तहसील मासलपुर जिला करौली में स्थित है। जिससे गैरसायलान का किसी प्रकार को कोई ताल्लुक नहीं है सबूतन जमाबंदी संवत 2072—2075 व नक्शाशीट की नकल संलग्न दर0 है। प्रार्थी सायल के खातेदारी की उक्त समस्त आराजीयात की मौके पर पचासों वर्षों पूर्व से चारों और मिट्‌टी की डौल करीब 4—4 फुट उंची मौके पर बनी हुई है प्रार्थी की आराजीयात खसरा नंबर 997 के उत्तर पश्चिम से लगेवा खसरा नंबर 995 गैरसायलान संख्या 1 ता 6 की खातेदारी की आराजी स्थित है। व खसरा नंबर 997 के उत्तर दिशा खसरा नंबर 1002 के उत्तर पश्चिम कोने से लगा हुआ खसरा नंबर 993 गैरसायल संख्या 7 ता 9 के खातेदारी की स्थित है व प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 997 के पश्चिम से लगी हुई भूमि खसरा नंबर 998 गैरसायल संख्या 12 व 13 की स्थित है। खसरा नंबर 997 के उत्तर पश्चिम खसरा नंबर 997 लगा हुआ है। जो मृतक रामेश्वर सिंह की खातेदारी भूमि है एवं खसरा नंबर 1002 के पूर्व दक्षिण व दक्षिण में खसरा नंबर 1003 व खसरा नंबर 2585 स्थित है। जो छोटी पुत्री रामकुंवार एवं प्रेम पुत्री रामकुवार के खातेदारी की है। इसी प्रकार प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खसरा नंबर 2600 रकबा 0.4047 के पूर्व दक्षिण से खसरा नंबर 2601 गैरसायल संख्या 15 व 16 की भूमि लगी हुई है व खसरा नंबर 2600 के पश्चिम दक्षिण से

गैरसायलान

खसरा नंबर 2513 व पश्चिम दिशा से खसरा नंबर 2599 व उत्तर दिशा व उत्तर पूर्व दिशा से खसरा नंबर 2580 व 2578 गैरसायल संख्या 17 ता 20 के खातेदारी भूमि लगी हुई है। प्रार्थी सायल बृद्व व बीमार व्यक्ति है प्रार्थी के खातेदारी भूमि चारों ओर से घिरी हुई है और प्रत्येक वर्ष बरसात के बाद पडौसी खातेदारी अपनी अपनी डौल मेढ को ठीक कराने के बहाने प्रार्थी की वृद्वावस्था व कमजोरी का लाभ उठाने की दृष्टि से भूमि को नाजायज तरीके से विधि विरूद्व षडयंत्र कर अवैध व अनाधिकार रूप से कब्जा करने की फिराक में रहते है प्रार्थी ने उक्त लोगों से तंग आकर अपनी उक्त समस्त खातेदारी भूमि का तहसीलदार साहब मासलपुर में सीमाज्ञान प्रार्थना–पत्र पेश कर सीमाज्ञान आदेश प्राप्त कर दिनांक 25.06.2021 को सभी पडौसी खातेदारान व काश्तकारान की उपस्थिति में सीमाज्ञान कराया जिससे गैरसायलान व खसरा नंबर 2613 खातेदारान जय सिंह वगै0 व खसरा नंबर 993 के खातेदारान संतुष्ट नहीं हुए और प्रार्थी से सदैव सीमा विवाद बनाकर झगडा करने की कोशिश करते रहते है। दिनांक 30.08.2021 को प्रार्थी मुताबिक सीमाज्ञान के अपनी डौल बना रहा था तो गैरसायल ने प्रार्थी से सैटिलमेंट टीम से सीमाज्ञान करा कर अपनी सीमा की बाउण्ड्री कराने को व पाबन्दी पत्थर गढी का आदेश कराकर मेड बनाने की कहा इसलिये दर0 128 एलआर एक्ट पेश करना आवश्यक आया है। प्रार्थी सायल द्वारा विधि पूर्वक सक्षम अधिकारी से सीमाज्ञान आदेश प्राप्त कर सीमाज्ञान कराने के उपरान्त मुताबिक सीमाज्ञान अपनी भूमि की डौल को दिनांक 30.08.2021 को गैरसायलान द्वारा अनाधिकार रूप से ठीक नहीं कराने दिया और कहा कि पक्की पत्थरगढी का आदेश लाकर सैटिलमेंट टीम से नाप कराने के बहाने विधि विरूद्व तरीके से रोक दिया गैरसायलान की इस अनाधिकार कार्यवाही से हक हकूक सायल पर भारी आघात है। सायल को भारी असुविधा व भारी अपूर्णीय क्षति है। सायल अपनी खातेदारी भूमि मुन्दर्जा दर0 पैरा0 नं. 0 1 का सैटिलमेंट टीम से नाप कराकर पत्थरगढी कराने का अधिकारी है।

अन्त में प्रार्थी सायल के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खसरा नंबर 1002 रकबा 0.1644 है0, खसरा नंबर 2600 रकबा 0.4047 है0, खसरा नंबर 997 रकबा 0.4553 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.0244 है0 का सीमाज्ञान सैटिलमेंट कमेटी से मुताबिक लठ्ठा व मोमिया नक्शा शीट अनुसार करवाकर पत्थरगढी करवाये जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना–पत्र वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। गैरसायल को जारी नोटिस बाद तामील रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। गैरसायल संख्या 1 व 6 लगायत व 8, 10, 12, 18 लगायत 20 की वाद तामील रिपोर्ट प्राप्त होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने के कारण गैरसायल संख्या 1 व 6 लगायत व 8, 10, 12, 18 लगायत 20 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई व गैरसायल संख्या 15 की फौत की रिपोर्ट प्राप्त हुई एवं गैरसायल संख्या 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 21 द्वारा जरिये वकील जबाव पेश हुआ गैरसायल संख्या 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 21 की ओर से प्रस्तुत जबाव प्रार्थनापत्र के मद नंबर 1 जिस तौर पर दर्ज है में वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 997 1002, 2600 का ग्राम रामपुरा पटवार हल्का फतेहपुर तहसील मासलपुर जिला करौली में स्थित होना स्वीकार है वकिया इबारत जिस तौर पर दर्ज है, गलत है स्वीकार नहीं है। सायल का उक्त वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है। सायल ने पेपर एन्ट्री के आधार पर गलत प्रार्थनापत्र असत्य तथ्यों पर पेश किया है। मद नंबर 2 जिस तौर पर दर्ज है गलत है स्वीकार नहीं कोई मेड डौल मिटटी की खसरा नंबर 997 की मौके पर बनी हुई नहीं है सायल का खसरा नंबर 997 पर पचासों वर्षो से कोई कब्जा काश्त नहीं है। खसरा नंबर 997 से खसरा 995, 993, 998, 1003, 2583 की सीमा लगी हुई होना सविकार है। गैरसायल 0, 11 फौत हो चुकी है। उनक वारिसान को पक्षकार बनाये वगैर प्रार्थनापत्र प्रार्थीयान चलने योग्य नहीं है। खसरा नंबर 2600 से खसरा नंबर 2601, 2599,

2580 व 2578 की सीमा लगी होना सही है। सायल का भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं है गैरसायल की खातेदारी भूमि की मेड डौल सैकडों वर्षो से बनी हुयी है। कोई सीमा विवाद नहीं है। सायल ने गलत आवदेन किया है। प्रार्थनापत्र का मद नंबर 3 जिस तौर पर दर्ज है गलत है। स्वीकार नहीं है। जब सायल का भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं है तब गैरसायलान के कब्जा करने की फिराक में रहने का कोई प्रश्न नहीं है। कोई सीमाज्ञान दिनांक 25.06.2021 को गैरसायल की उपस्थिति में तहसीलदार मासलपुर गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का द्वारा नहीं किया गया है। यदि कोई झूठी फर्द मौका सायल ने साज कर इन लोगों से बनाली हो तो वह गैरसायलान पर बाध्यकारी नहीं है। सायल का कोई वादकारण प्रार्थनापत्र पेश करने का पैदा नहीं हुआ है। प्रार्थनापत्र का मद नंबर 4 जिस तौर पर र्ज है गलत है स्वीकार नहीं है। इस मद में सायल ने सारे तथ्य गलत व निराधार दर्ज किये है कोई दिनांक 30.8.2021 को सायल से गैरसायलान की नहीं हुई है। सायल के किसी हक पर नहीं है। सायल को कोई असुविधा व क्षति नही है। सायल कोई पत्थरगढी सैटिलमेंट टीम से कराने का अधिकारी नहीं है। अन्त में प्रार्थना पत्र गैरसायलान द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष को सुना गया एवं बहस अधिवक्ता पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि विवादित आराजी भूमि के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण न्यायहित में स्वीकार योग्य प्राप्त होता है।

—::आदेश::—

प्रार्थीगण का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम रामपुर पटवार हल्का फतेहपुर तहसील मासलपुर जिला करौली में उसके खाते की कृषि भूमि आराजीयात खसरा नंबर 997 रकबा 0.4553 है0 खसरा नंबर 1002 रकबा 0.1644 है0 खसरा नंबर 2600 रकबा 0.4047 है0 बारानी कुल रकबा 1.0244 है0 वाके ग्राम रामपुरा पटवार हल्का फतेहपुर तहसील मासलपुर जिला करौली भूमि की पत्थरगढ़ी, बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए तहसीलदार, मासलपुर को 1000/—रूपये फीस पर कमिशनर नियुक्त किया जाता है। कमिशनर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। तहसीलदार, मासलपुर सभी पडौसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र के समय एवं तिथि सूचित करेंगे। मौके पर खडी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर सीमांकन कर पत्थरगढी किऐ जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, मासलपुर को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली